


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



1- रमेश प्रसाद पिता रामदास मल्लाह उम्र 48 वर्ष

2- बिट्टीबाई पुत्री रामदास मल्लाह, उम्र 45 वर्ष R 5047 III/17

R 30/-

दोनो निवासी ग्राम करहीकला, तहसील उचेहरा, जिला सतना

(म0प्र0)

-----निगरानीकर्तागण

बनाम

1- रामऔतार पिता रामदास मल्लाह | सभी निवासी ग्राम करहीकला हाल

2- सखियाबाई वेवा रामदास मल्लाह | मुकाम गौहारी, तहसील रामपुर

3- गुडिया बाई पुत्री रामदास मल्लाह | बाघेलान जिला सतना (म0प्र0)

4- मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह

5- बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह

6- सजना पुत्र गणेश प्रसाद नाबा0सं0 मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह

7- अन्जू पुत्री गणेश प्रसाद मल्लाह नाबा0सं0 मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद

8- पिन्टू पुत्र गणेश प्रसाद ना0सं0 माँ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद

9- शिवानी पुत्री गणेश प्रसाद ना0सं0 माँ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद

10- गोलूबाई पुत्री गणेश प्रसाद ना0सं0 माँ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह

सभी निवासी ग्राम करहीकला, तहसील उचेहरा, जिला सतना

(म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय

अधिकारी, तहसील उचेहरा, जिला सतना

(म0प्र0) के अपील प्र0क0-70/अपील/14-15

में पारित आदेश दिनांक 09/01/2017

निगरानी अंतर्गत धारू 50 म0प्र0 भू राजस्व

संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

यह कि ग्राम करही कला की आराजी नं0-105/1, 106/1,

178/1, 1072/1, 1209/1, 1321, 1576, 1579/1, 1617,


रमेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5047-दो/17

जिला-सतना

रमेश प्रसाद/रामऔतार

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M